लगान पाने वाला— झारखंड सरकार द्वारा अंचल अधिकारी मेदिनीनगर, जिला पलामू।

विदित हो कि उपरोक्त कंडिका पांच में वर्णित सम्पति लेख्यकारी की माँ श्रीमती कौशल्या देवी ने दिनांक 04.12.2008 ई0 को खरीद कर प्राप्त किये थे। जिसका केवाला नं0 11592 बुक नं0 1 वोल्यूम नं0 278 पेज नं0 597 से 610 तक है जो दिनांक 04.12.2008 ई0 को जिला अवर निबंधन कार्यालय मेदिनीनगर में निबंधित हुआ है। नामान्तरण वाद संख्या 1265 वर्ष 2008—09 के आधार पर डिमाण्ड हो0 नं0 1280 पर चलता है तथा कम्प्युटरीकृत पंजी II के भाग वर्तमान 10 पृष्ठ सं0 163 पर श्रीमती कौशल्या देवी का नाम दर्ज है।

यह कि लेख्यकारी की माँ अपने पिछे मात्र एक पुत्र लेख्यकारी श्री राजमुनी प्रजापति को छोड़ कर स्वर्गवास कर गई। कौशल्या देवी द्वारा छोड़ी गई चल एवं अचल सम्पति का पूर्णरूपेण उत्तराधिकारी लेख्यकारी है। इस लिए उक्त सम्पति लेख्यकारी को उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ। उक्त भूमी पर लेख्यकारी पूर्णरूप से दखल—कब्जा में चले आ रहे हैं। जिस पर बिक्रेता के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति का हक, हिस्सा अथवा दखल—कब्जा नहीं है और न ही इस पर किसी भी प्रकार का ऋणभार, अथवा वारदैन किया गया है और ना ही इसमें किसी भी प्रकार का विवाद ही है। संक्षेप में यह सम्पति हकियत के सभी दोषों तथा ऋणभार से पूर्णतः मुक्त है।

चुंकि लेख्यकारी को अपने विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रूपयों की आवश्यकता आ पड़ी है जिसका प्रबन्ध अपने पास से या अन्यत्र से कर पाना सम्भव प्रतीत नही हुआ है। अतएव इस संबंध में बिक्रेता परिवार के अन्य सभी सदस्यों के साथ अच्छी तरह से विचार—विमर्श किये और सर्व सम्मति से यह निश्चय किये कि अपने उपरोक्त सम्पति को बिक्री कर दिया जाए और अपने आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। अतः उपरोक्त सम्पति का बिक्री का प्रचार कराये। परिणाम स्वरूप कई सम्भावित

राजमुनी प्रजापति
21/11/22

Satyaranjan
Rajmuni Prajapati
Nimiya, Near J.S College
Daltonganj
21/11/22